

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3631  
(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)  
सी.डी.एम. प्रणाली के लिए नियम

3631. श्री आर.पी. मरुदराजा:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास उसकी कारपोरेट रजिस्ट्री में कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट (सीडीएम) प्रणाली कोष की जानकारी देने संबंधी नए नियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को रिपोर्ट की नीतिगत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संबंधी विवरण प्राप्त हुआ है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) प्रणाली में कोई नया नियम नहीं है क्योंकि इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार किया गया है।

(ख): सरकार को कोई नीतिगत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*